MT-9

निरीक्षण प्रतिवेदन

सत्यमेव जयते

थाना कार्यालय : मधवापुर

निरीक्षण की तिथि : 09.10.2002

डा0 बी0 राजेन्दर
भा0 प्र0 से0
जिला पदाधिकारी,
मधुबनी

डा० बी० राजेन्द्र, भा०प्र०से०, जिला पदाधिकारी, मधुबनी द्वारा दिनांक 9-10-2002 को मधवापुर थाना का किये गये निरीक्षण से संबंधित निरीक्षण टिप्पणी ।

1- परिचय :-

मधवापुर थाना भारत-नेपाल अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर लौह-स्तम्भ (आयरन पीलर) संख्या 55 से मात्र 10 गज की दूरी पर अवस्थित है । इस थाना के पूरब-उत्तर में नेपाल देश के महोत्तरी जिला का मटिहानी गाँव एवं धनुषा जिला का तुलसियाही गाँव अवस्थित है । इस थाना क्षेत्र के अन्तर्गत धौस नदी बहती है जिसमें महेन्द्र नगर (नेपाल) से आकर रातो नदी मिल जाती है । नेपाल देश का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल जनकपुर धाम एवं हवाई अड्डा की दूरी यहाँ से 17 कि०मी० है ।

मधवापुर थाना की स्थापना किस अधिसूचना से हुई, अधिसूचना की प्रति थाना में उपलब्ध नहीं है । थाना प्रभारी द्वारा बताया गया कि आरक्षी मुख्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस थाना की स्थापना 1948 में हुई है । इसके पूर्व यह थाना क्षेत्र हरलाखी थाना में पड़ता था । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि आरक्षी महानिरीक्षक कार्यालय, दरभंगा अथवा आरक्षी मुख्यालय, पटना से सम्पर्क स्थापितकर अधिसूचना की प्रति प्राप्तकर संधारित करें एवं उसकी एक प्रति एक पक्ष के अन्दर अधोहस्ताक्षरी को भी उपलब्ध करावें ।

इस थाना का स०नं० 3 एवं 4 को अलग कर सहारघाट सहायक थाना की स्थापना की गई है परन्तु सहारघाट थाना की प्राथमिकी अभीभी मधवापुर थाना में ही दर्ज की जाती है ।

मधवापुर थाना जिला मुख्यालय से लगभग 65 कि०मी० की दूरी पर मधुबनी-बेनीपट्टी-मधवापुर पी०डब्लू०डी० सड़क पर अवस्थित है जिसका कुल क्षेत्रफल 10183.32 हे० एवं कुल जनसंख्या 35,190 है । कुल राजस्व ग्रामों की संख्या 18 है । यह थाना सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है परन्तु सड़क की स्थिति जर्जर होने के कारण आवागमन की दृष्टिकोण से असुविधाजनक है । यह थाना मधुबनी जिला (अविभाजित दरभंगा जिला) के सबसे पुराने थानाओं में से एक है ।

मधवापुर थाना में एक भी पुलिस पिकेट नहीं है परन्तु थाना भवन के 1/2 कि०मी० पर स्स०स्स०बी० का बी०ओ०पी० स्थापित है एवं दोनों के आपसी तालमेल से तस्करी पर रोक एवं अपराध नियंत्रण की कार्रवाई की जा रही है ।

लगभग 12 दिन पूर्व सूचना दिये जाने के बावजूद अनुमण्डल आरक्षी पदाधिकारी एवं आरक्षी निरीक्षक, बेनीपट्टी

लगातार...2/-

निरीक्षण के समय उपस्थित नहीं हुए । आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी उनसे स्पष्टीकरण प्राप्तकर एक सप्ताह के अन्दर वस्तु-स्थिति से अवगत करायेंगे ।

2- भवन :-

मधवापुर थाना अपने भवन में कार्यरत है । यह भवन स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व निर्मित किया गया है । इसकी मरम्मति की आवश्यकता है । कार्यपालक अभियन्ता, भवन प्रमण्डल, मधुबनी को निर्देश दिया जाता है कि एक माह के अन्दर मरम्मति की दिशा में आवश्यक कार्रवाईकर अनुपालन प्रतिवेदन भेजेंगे । इस भवन में थाना प्रभारी का कक्ष, सिरिस्ता कक्ष, वितंतु कक्ष, मालखाना, पुरूष हाजत, महिला हाजत एवं पुलिस बैरक है । थाना परिसर में थाना प्रभारी एवं एक सहायक अवर निरीक्षक के लिए आवासीय भवन निर्मित है । आरक्षी हेतु दो भवन अर्द्धनिर्मित है जिससे आरक्षियों को काफी कठिनाई हो रही है । बताया गया कि संबंधित ठीकेदार द्वारा इसे अधूरा छोड़ दिया गया है । आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी इस अर्द्धनिर्मित भवन को पूर्ण कराने हेतु बिहार पुलिस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन विभाग, पटना से पत्राचार करना चाहेंगे ।

थाना परिसर में चहारदिवारी का निर्माण नहीं किया गया है जबकि अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर अवस्थित रहने के कारण सुरक्षा की दृष्टिकोण से चहारदिवारी का होना अत्यावश्यक है । चहारदिवारी के निर्माण हेतु बिहार पुलिस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन विभाग से पत्राचार किया जाय । थाना परिसर का सीमांकन भी अभीतक नहीं किया गया है । अंचल अधिकारी, मधवापुर को निर्देश दिया जाता है कि एक सप्ताह के अन्दर थाना परिसर की नापी कराकर सीमांकन कराते हुए यदि कोई भू-खण्ड अतिक्रामत हो तो अतिक्रमण हटाकर अनुपालन प्रतिवेदन भेजेंगे ।

थाना परिसर में एक तालाब है एवं फुल-पत्तियाँ भी लगी हुई है । थाना प्रभारी द्वारा परिसर की सफाई कराने का प्रयास किया गया है परन्तु अभीभी कुछ छोटे-छोटे पेड़-पौधे बचे हुए हैं । थाना प्रभारी दो दिनों के अन्दर साफ कराते हुए अनुपालन प्रतिवेदन भेजेंगे । थाना भवन के पिछले बरामदा पर जब्त की गई मोटर साईकल, साईकल आदि प्रदर्श रखे गये हैं । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि न्यायालय से कांड की अद्यतन स्थिति की जानकारी प्राप्तकर इन प्रदर्शों को निष्पादित कर एक पक्ष के अन्दर अनुपालन प्रतिवेदन भेजेंगे ।

लगातार...3/-

3- कोट परेड का निरीक्षण :-

कोट परेड का निरीक्षण किया गया । इस परेड में आरक्षी सं0- 453-भृगुनाथ सिंह, आरक्षी स0-612-विश्वनाथ सिंह एवं साधर आरक्षी सं0-319-शशिभूषण सिंह शामिल हुए । सभी आरक्षियों का आऊट-टर्न अच्छा रहा । इन्हें कम्बल, जैकेट, उलेन कमीज, मच्छड़दानी, ब्रासो, ब्रश, बेडिंग, पॉलिस, मोजा, टोपी आदि निर्गत किया गया है एवं निर्गत की तिथि नोट-बुक में दर्ज है ।

4- प्रभार :-

श्री राम पुकार सिंह, अवर निरीक्षक दिनांक 05-02-2002 से थाना प्रभारी के रूप में कार्यरत हैं । इनके पूर्व श्री बृजलाल राम, अवर निरीक्षक कार्यरत थे । थाना प्रभारियों का नामपट्ट वर्ष 1975 से बनाया गया है जबकि यह थाना 1948 से कार्यरत है । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि पूर्व की अभिलेखों की जाँचकर अथवा आरक्षी केन्द्र, मधुबनी से सम्पर्ककर प्रारम्भ से लेकर अबतक इस थाना में पदस्थापित थाना प्रभारियों का नामपट्ट संधारित करें एवं उसकी एक सूची एक माह के अन्दर अधोहस्ताक्षरी को भी उपलब्ध करावें । वर्ष 1975 से अबतक पदस्थापित थाना प्रभारियों की सूची निम्न प्रकार है :-

क्रमांक	पदनाम	नाम	कब से पदस्थापित	कबतक पदस्थापित
1-	अवर निरीक्षक	जितेन्द्र प्रसाद वर्मा	17-06-1975	25-08-1977
2-	अवर निरीक्षक	अर्जुन प्रसाद	28-08-1977	28-05-1982
3-	अवर निरीक्षक	अमर नाथ दास	29-05-1982	19-09-1983
4-	अवर निरीक्षक	राम सुशील राय	20-09-1983	26-11-1984
5-	अवर निरीक्षक	महारूद्र ठाकुर	27-11-1984	26-01-1988
6-	अवर निरीक्षक	सुदर्शन प्रसाद सिंह	27-01-1988	15-12-1990
7-	अवर निरीक्षक	अली हुसैन खाँ	16-12-1990	26-06-1991
8-	अवर निरीक्षक	डी0 एन0 उँराव	27-06-1991	11-04-1992
9-	अवर निरीक्षक	विश्राम दास	12-04-1992	05-07-1994
10-	अवर निरीक्षक	यू0 सी0 राय	06-07-1994	27-08-1996

लगातार...4/-

11-	अवर निरीक्षक	हरेन्द्र प्रसाद सिंह	28-08-1996	03-12-1997
12-	अवर निरीक्षक	अम्बिका प्रसाद सिंह	14-12-1997	01-12-1998
13-	अवर निरीक्षक	मणि मोहन प्रसाद	16-12-1998	08-12-1999
14-	अवर निरीक्षक	आनन्द कुमार	09-12-1999	16-10-2000
15-	अवर निरीक्षक	बृज लाल राम	17-10-2000	04-02-2002
16-	अवर निरीक्षक	राम पुकार सिंह	05-02-2002	अद्यतन

5- स्थापना :-

मधवापुर थाना में स्वीकृत बल की स्थिति निम्न प्रकार है :-

क्रमांक	पदनाम	स्वीकृत बल	पदस्थापित बल	रिक्त
1-	अवर निरीक्षक	1	1	-
2-	सहायक अवर निरीक्षक	2	2	-
3-	हवलदार	1	-	1
4-	आरक्षी	6	3	3

स्वीकृत बल के अनुसार पदस्थापन की स्थिति निम्न प्रकार है :-

क्रमांक	पदनाम	नाम	इस जिला में योग० का वर्ष	थाना में योगदान की तिथि	पूर्व पदस्थापन का स्थान	गृह पता
1-	अवर निरीक्षक	राम पुकार सिंह	26-11-1999	05-02-2002	अरेड़ थाना	ग्राम अजगरा, पटना
2-	स० अ० नि०	मो० इद्रीश	1994	16-07-2001	सकरी थाना	ग्राम मरियासिहपुर जिला कटिहार
3-	स० अ० नि०	आर० ए० यादव	1995	31-01-2001	लौकहा थाना	ग्राम सुकरटोला, बक्सर
4-	स० अ० नि०	रामचरित्र सिंह	1994	06-10-2002	आर०के०मधुबनी	ग्राम दहिबर, बक्सर
5-	आरक्षी-612	विश्वनाथ सिंह	1998	23-08-2002	भौआरा नाका	ग्राम नरहन, सिवान
6-	स०अ०-319	शशिभूषण सिंह	2000	10-08-2001	अ०उपा०मधु०	ग्राम कर्मगढ़, जमुई
7-	अ० - 453	भृगुनाथ सिंह	1998	23-08-2002	मधु०नाका	ग्राम देवरिया, सारण

लगातार...5/-

उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि हवलदार का एक एवं आरक्षी का तीन पद रिक्त है । आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी से अनुरोध है कि समीक्षाकर स्वीकृत बल के अनुरूप हवलदार एवं आरक्षी के पदस्थापन की दिशा में आवश्यक कार्रवाई करना चाहेंगे ।

6- पूर्व निरीक्षण :-

माधवापुर थाना का पूर्व में निम्नांकित निरीक्षी पदाधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया है :-

क्रमांक	निरीक्षी पदाधिकारियों का नाम	पदनाम	निरीक्षण की तिथि	निरीक्षण टिप्पणी अनुपालन की प्राप्ति की तिथि तिथि
1-	श्री एन0 मिश्रा	आरक्षी अधीक्षक	29-03-1973	
2-	श्री आर0 पी0 प्रसाद	आरक्षी अधीक्षक	15-06-1975	
3-	श्री आर0 पी0 प्रसाद	आरक्षी अधीक्षक	06-11-1976	
4-	श्री एन0 पी0 सहाय	आरक्षी अधीक्षक	12-02-1978	
5-	श्री मो0 नसीम अहमद	आरक्षी अधीक्षक	05-05-1979	
6-	श्री मो0 नसीम अहमद	आरक्षी अधीक्षक	24-04-1980	
7-	श्री रंजीत सिन्हा	आरक्षी अधीक्षक	17-04-1981	
8-	श्री अरूण चौधरी	आरक्षी अधीक्षक	03-08-1983	
9-	श्री अरूण चौधरी	आरक्षी अधीक्षक	09-11-1984	
10-	श्री निर्मल चन्द्र ढोढियाल	आरक्षी अधीक्षक	17-03-1985	
11-	श्री निर्मल चन्द्र ढोढियाल	आरक्षी अधीक्षक	02-03-1987	
12-	श्री अजीत दत्त	आरक्षी अधीक्षक	29-07-1988	
13-	श्री राजीव रंजन वर्मा	आरक्षी अधीक्षक	21-10-1990	
14-	श्री राम लखन प्रसाद	आरक्षी अधीक्षक	24-11-1994	
15-	श्री राम लखन प्रसाद	आरक्षी अधीक्षक	31-03-1996	
16-	श्री विमलेश प्रसाद सिन्हा	आरक्षी अधीक्षक	17-10-2001	
17-	श्री पी0 राजन	स0 आ0 अधी0	07-02-1970	
18-	श्री आर0पी0सिंह0	डी0एस0पी0	22-03-1970	

लगातार...6/-

19-	श्री जे० एस० मेहता	डी० एस० पी०	16-06-1971
20-	श्री के० पी० कौर	स० आ० अधी०	29-05-1972
21-	श्री बी० के० सिन्हा	डी० एस० पी०	11-01-1980
22-	श्री हरशंकर शुक्ला	डी० एस० पी०	04-11-1980
23-	श्री हरिशंकर शुक्ला	डी० एस० पी०	28-02-1982
24-	श्री बी० के० मिश्रा	डी० एस० पी०	10-12-1982
25-	श्री बी० के० मिश्रा	डी० एस० पी०	07-12-1983
26-	श्री एस० एम० हाशमी	डी० एस० पी०	26-07-1985
27-	श्री भवेश ठाकुर	डी० एस० पी०	15-11-1986
28-	श्री भवेश ठाकुर	डी० एस० पी०	27-01-1988
29-	श्री पी० एन० तिवारी	डी० एस० पी०	20-03-1989
30-	श्री एस० एस० मजीद	डी० एस० पी०	25-09-1990
31-	श्री एम० आई० बेक	डी० एस० पी०	21-03-1992
32-	श्री एम० आई० बेक	डी० एस० पी०	28-03-1993
33-	श्री एम० आई० बेक	डी० एस० पी०	31-01-1994
34-	श्री एल० बी० चौधरी	डी० एस० पी०	20-11-1994
35-	श्री एल० बी० चौधरी	डी० एस० पी०	08-12-1995
36-	श्री एल० बी० सिंह	डी० एस० पी०	20-12-2001
37-	श्री एस० पी० सिन्हा	आरक्षी निरीक्षक	15-03-1969
38-	श्री एस० के० खौजा	आरक्षी निरीक्षक	24-10-1969
39-	श्री एस० के० खाजा	आरक्षी निरीक्षक	29-01-1970
40-	श्री एस० के० अहमद	आरक्षी निरीक्षक	07-05-1970
41-	श्री एस० एम० प्रसाद	आरक्षी निरीक्षक	01-04-1976
42-	श्री आर० पी० गुप्ता	आरक्षी निरीक्षक	05-02-1978
43-	श्री एल० पी० सिन्हा	आरक्षी निरीक्षक	22-04-1979
44-	श्री दिनेश तिवारी	आरक्षी निरीक्षक	20-02-1981
45-	श्री दिनेश तिवारी	आरक्षी निरीक्षक	18-02-1982
46-	श्री दिनेश तिवारी	आरक्षी निरीक्षक	17-08-1982

लगातार...7/-

47-	श्री मो0 हदीश	आरक्षी निरीक्षक	25-10-1983
48-	श्री मो0 हदीश	आरक्षी निरीक्षक	07-04-1984
49-	श्री के0 एन0 सिंह	आरक्षी निरीक्षक	20-02-1985
50-	श्री पी0 एन0 तिवारी	आरक्षी निरीक्षक	28-04-1988
51-	श्री सी0डी0पी0केहरी	आरक्षी निरीक्षक	09-07-1989
52-	श्री नरेन्द्र कुमार	आरक्षी निरीक्षक	16-01-1996

उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि 16-01-1996 के बाद आरक्षी निरीक्षक द्वारा इस थाना का निरीक्षण नहीं किया गया है । आरक्षी निरीक्षक, बेनीपट्टी को निर्देश दिया जाता है कि नियमित रूप से अपने क्षेत्र के अन्तर्गत सभी थानों का निरीक्षण सुनिश्चित करेंगे । निरीक्षण टिप्पणी की रक्षी संचिका का अवलोकन किया । सबसे पुराना निरीक्षण टिप्पणी वर्ष 1951 का पाया गया परन्तु थाना प्रभारी द्वारा वर्ष 1969 से निरीक्षण टिप्पणी का ब्योरा उपस्थापित किया गया । निरीक्षण टिप्पणी की रक्षी संचिका का संधारण बहुत ही अच्छे ढंग से किया जा रहा है परन्तु कुछ रक्षी संचिकाएँ फटी हुई हैं । चूँकि यह महत्वपूर्ण दस्तावेज है एवं थाना के लिए एक धरोहर है, अतः थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि फटी हुई रक्षी संचिकाओं को आवलम्ब बाईंडिंग करा लें । कुछ अनुपालन प्रतिवेदन का भी अवलोकन किया गया । अनुपालन सही ढंग से नहीं किया जा रहा है । स्पष्ट रूप से अनुपालन सुनिश्चित नहीं कर "अनुपालन किया जा रहा है/किया गया है" लिखा गया है, जो उचित नहीं है । श्री लाल बहादुर सिंह, अनुमण्डल आरक्षी पदाधिकारी, बेनीपट्टी द्वारा दिनांक 20-12-2001 को किये गये निरीक्षण टिप्पणी का अवलोकन किया । इसका भी अनुपालन सही ढंग से नहीं किया गया है । सामान्यतः निरीक्षण टिप्पणी प्राप्ति के एक माह के अन्दर पूर्ण अनुपालन प्रतिवेदन भेज दिया जाना चाहिए । यदि पूर्ण अनुपालन प्रतिवेदन संभव नहीं हो तो कम-से-कम अंतरिम अनुपालन प्रतिवेदन अवश्य भेज दिया जाना चाहिए । यदि वरीय पदाधिकारियों द्वारा दिये गये निर्देश का अनुपालन समय-सीमा के अन्दर नहीं सुनिश्चित किया जाता है तो निरीक्षण का कोई अर्थ नहीं रह जाता है । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि सभी निरीक्षण टिप्पणियों का अध्ययनकर अवशेष कंडिकाओं का अनुपालन एक माह के अन्दर सुनिश्चित कर अनुपालन प्रतिवेदन भेजेंगे । अनुपालन प्रतिवेदन किस पत्रांक/दिनांक से भेजा गया, स्पष्ट रूप से अंकित करना चाहिए ।

लगातार...8/-

अनुमण्डल पदाधिकारी, बेनीपट्टी द्वारा अभीतक इस थाना का एकबार भी निरीक्षण नहीं किया गया है जबकि बिहार आरक्षी हस्तक के नियम 32 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अनुमण्डल पदाधिकारी अपने क्षेत्रान्तर्गत पड़नेवाले सभी थानों का वार्षिक निरीक्षण करेंगे । अनुमण्डल पदाधिकारी, बेनीपट्टी को निर्देश दिया जाता है कि अपने क्षेत्रान्तर्गत पड़नेवाले सभी थानों का वार्षिक निरीक्षणकर निरीक्षण टिप्पणी भेजेंगे ।

7-थाना दैनिकी :-

बिहार पुलिस हस्तक के नियम 116 के तहत फार्म सं0 15 में थाना दैनिकी संधारित किया गया है । थाना दैनिकी के बुक नं0 10313 का क्रमांक 1031201 से 1031300 का अवलोकन किया । यह दो प्रतियों में होती है । एक प्रति प्रतिदिन आरक्षी निरीक्षक को भेज दी जाती है जो एक महीने की थाना दैनिकी को संकलितकर महीने के अंतिम दिन आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी को अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजते हैं । थाना दैनिकी में हर दो घंटे की सूचनाओं को दर्ज किया जाता है । यह कार्य प्रतिदिन सुबह 08-00 बजे से प्रारम्भ होकर दूसरे दिन 08-00 बजे सुबह तक अर्थात 24 घंटे के चक्र में चलता रहता है । थाना दैनिकी का संधारण सही ढंग से किया जा रहा है अर्थात थाना में कौन-सी महत्वपूर्ण घटनाएँ घटी, थाना क्षेत्र में किसी विदेशी का आगमन हुआ अथवा नहीं, उक्त तिथि को कोई महिला हाजत में बन्द रही अथवा नहीं, मौसम कैसा रहा आदि की नियमित रूप से प्रविष्टि की जा रही है ।

थाना दैनिकी में दर्ज मधवापुर थाना कांड संख्या 61/02 दिनांक 5-10-2002 का अवलोकन किया । यह कांड वादी लक्ष्मी राम पे0 चुल्हाई राम, सा0 बोकहा, थाना सहारघाट, जिला मधुबनी के कोर्ट नालसी सी0आर0नं0 802/02 के आधार पर देवेन्द्र यादव पे0 स्व0 स्वरूप यादव, साकिन बोकहा तथा अन्य चौदह (14) सभी सा0 बोकहा, थाना सहारघाट के विरूद्ध धारा 147/341/323/447/379/504 भा0द0वि0 एवं 3(1) 10, 3(1)11 एस0सी0एक्ट के अन्तर्गत दर्ज किया गया है । कांड का अनुसंधान भार अ0नि0 एस0एन0राम, सहारघाट, थाना को सौंपा गया है, जो अभी अनुसंधानान्तर्गत है ।

8- फिरारी पंजी :-

पुलिस हस्तक के नियम 118, फार्म सं0 16 में फिरारी पंजी संधारित है । यह दो भागो में संधारित है ।

लगातार...9/-

भाग-I में अपने थाना के एवं भाग-II में दूसरे थाना के अपराधकर्मियों का नाम दर्ज किया जाता है । थाना प्रभारी द्वारा बताया गया कि दोनों पंजियों में एक भी फिरारी का नाम दर्ज नहीं है । पंजियों के अवलोकन से पाया गया कि वर्ष 1963 के बाद वर्ष 2002 में 2 फिरारी का रौल स्वीकृति हेतु आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी को समर्पित किया गया है । यह अपने आप में आश्चर्यजनक है । ऐसा प्रतीत होता है कि पंजी सही ढंग से संधारित नहीं हो रही है अथवा थाना प्रभारी द्वारा पूर्व की पंजी नहीं दिखाई जा रही है । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि इस संबंध में संधारित सभी अभिलेखों/कागजातों की छानबीनकर एक सप्ताह में वस्तु-स्थिति से अवगत करावें ।

9- रिटर्न ऑफ अनएक्सक्यूटेड वारंट :-

बिहार पुलिस हस्तक के नियम 109 के तहत फार्म सं0 में रिटर्न ऑफ अनएक्सक्यूटेड वारंट की पंजी संधारित करना है, जो विहित प्रपत्र में संधारित नहीं कर सादे पंजी में संधारित किया जा रहा है । वर्तमान माह तक कुल 40 वारंट एवं 6 कुर्की तामिला हेतु न्यायालय से प्राप्त हुए थे जिसमें से इस माह में 17 वारंट का तामिला कराया गया है । शेष 23 वारंट एवं 6 कुर्की तामिला हेतु लंबित हैं । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि लंबित वारंट एवं कुर्की का तामिला कराकर अनुपालन प्रतिवेदन एक माह के अन्दर उपलब्ध करावें । साथ ही जो वारंटी सबसे पुराना है और गिरफ्तारी नहीं हो रही है, कुर्की कर दी गई है, तो उसके नाम का प्रस्ताव फिरारी रौल में अविलम्ब समर्पित करें ताकि आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी द्वारा फिरारी पंजी में नाम दर्ज करने हेतु स्वीकृति दी जा सके । दिनांक 9-10-2002 तक लंबित वारंटों/कुर्की की विवरणी निम्न प्रकार है :-

पूर्व से लंबित			वर्तमान माह में प्राप्त			वर्तमान माह में निष्पादित			माह के अंत में लं0		
वारंट	कुर्की	कुल	वारंट	कुर्की	कुल	वारंट	कुर्की	कुल	वारंट	कुर्की	कुल
40	05	45	-	1	1	17	-	17	23	06	29

पदाधिकारीवार लंबित वारेंट / कुर्की की विवरणी निम्न प्रकार है :-

लगातार...10/-

क्रमांक	पदनाम	नाम	वारंट	कुर्की	कुल
1-	स0 अ0 नि0	मो0 इद्रीश	16	02	18
2-	स0 अ0 नि0	आर0 एन0 यादव	07	04	11
		कुल :-	23	06	29

10- गिरफ्तार अपराधियों की पंजी :-

बिहार पुलिस हस्तक के नियम 171 के तहत फार्म सं0 31 ए. में इस पंजी को संधारित करना है कि परन्तु इस थाना में इसे सादे पंजी में संधारित किया गया है । थाना प्रभारी द्वारा बताया गया कि विहित प्रपत्र के अभाव में सादे पंजी में इसे संधारित किया जा रहा है । उन्हें निर्देश दिया जाता है कि आरक्षी अधीक्षक कार्यालय से सम्पर्क स्थापित कर एक सप्ताह के अन्दर विहित प्रपत्र में पंजी संधारित करें एवं अनुपालन प्रतिवेदन भेजें । वर्ष 2002 में गिरफ्तार अपराधियों की माहवार विवरणी निम्न प्रकार है :-

1-	जनवरी, 2002	02
2-	फरवरी, 2002	07
3-	मार्च, 2002	04
4-	अप्रील, 2002	03
5-	मई, 2002	शून्य
6-	जून, 2002	18
7-	जुलाई, 2002	शून्य
8-	अगस्त, 2002	01
9-	सितम्बर, 2002	02
	कुल :-	27

उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि माह मई एवं जुलाई, 2002 में गिरफ्तारी की संख्या शून्य है

लगातार...11/-

किन्तु थाना प्रभारी द्वारा इस हेतु निरंतर प्रयास किया जा रहा है । उन्हें निर्देश दिया जाता है कि सघन अभियान चलाकर अभियुक्तों को शीघ्र गिरफ्तार करें । इससे अपराधियों का मनोबल गिरता है एवं विधि-व्यवस्था के संधारण में मदद मिलती है ।

11- रजिस्टर ऑफ आर्म्स लाईसेंस :-

बिहार पुलिस हस्तक के नियम 130 के तहत फार्म नं0 25 में यह पंजी संधारित है एवं अद्यतन सत्यापित है । बिहार शस्त्र अधिनियम 48 के तहत प्रत्येक वर्ष इस पंजी का मिलान करवाना है, जो किया जा रहा है । शस्त्र पंजी के अनुसार इस थाना में कुल 31 आर्म्स लाईसेंस हैं, जिसकी विवरणी निम्न प्रकार है :-

(क)	डी0बी0बी0एस0	26
(ख)	एस0बी0बी0एस0	03
(ग)	राईफल	01
(घ)	रिवॉल्वर	01
	कुल :-	31

12- हाजत पंजी :-

बिहार पुलिस हस्तक के वोल्यूम 11 के नियम 239 ए., फार्म नं0 43 ए. में यह पंजी संधारित करना है किन्तु इस थाना में विहित प्रपत्र में संधारित नहीं कर सादे पंजी में ही सही ढंग से संधारित किया जा रहा है ।

13- तख्ती नं0 1 :-

बिहार पुलिस हस्तक के नियम 76 के तहत तख्तियों को संधारित करना है । तख्ती नं0-1 सरकारी सम्पत्तियों से संबंधित होती है । तख्ती का अवलोकन किया । यह तख्ती अद्यतन है ।

14- तख्ती नं0 2 :-

थाना में पदस्थापित हर पंक्ति के पदाधिकारियों/कर्मचारियों का नाम/पता इस तख्ती में अंकित किया जाता

लगातार...12/-

है, जो अद्यतन है एवं थाना प्रभारी द्वारा सत्यापित है ।

15- तख्ती नं0 3 :-

विस्फोटक अधिनियम के अन्तर्गत अनुज्ञा प्राप्त कारखाने, भंडार, दूकानों की सूची इस तख्ती में रहती है, किन्तु इस थाना में यह मामला शून्य है ।

16- तख्ती नं0 4 :-

इस तख्ती में गोला, बारूद, आयुध से संबंधित सूचना अंकित रहती है परन्तु इस थाना में इस प्रकार का कोई मामला नहीं है ।

17- तख्ती नं0 5 :-

इस तख्ती में विष अधिनियम के तहत अनुज्ञप्ति प्राप्त दूकानों की सूची रहती है । इस थाना में यह मामला नहीं है ।

18- तख्ती नं0 6 :-

इस तख्ती में उत्पाद अधिनियम के तहत अनुज्ञप्ति प्राप्त देशी/विदेशी शराब एवं अफीम के दूकानों की सूची रहती है । श्री गणेश कुमार पे0 शंकर प्रसाद, सा0 कमतौल, जिला दरभंगा के नाम से लाईसेंस संख्या 66-स18/2001-02 निर्गत है परन्तु लाईसेन्सी विदेशी शराब की दूकान मधवापुर थाना क्षेत्र में उपलब्ध नहीं है । उत्पाद अधीक्षक, मधुबनी को निर्देश दिया जाता है कि एक सप्ताह के अन्दर जाँचकर प्रतिवेदित करें कि मधवापुर थाना क्षेत्र के लिए निर्गत लाईसेंस का वर्ष 2002-2003 में नवीकरण किया गया है अथवा नहीं । यदि लाईसेंस निर्गत किया गया है तो लाईसेंसी द्वारा दूकान क्यों नहीं चलाई जा रही है अथवा उनके द्वारा कहीं अन्यत्र दूकान तो नहीं चलाई जा रही है । ज्ञातव्य है कि यह थाना अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर अवस्थित है । संभव है कि यहाँ के लोग मटिहानी (नेपाल) से शराब खरीदकर उपयोग करते हों जिससे सरकारी राजस्व की क्षति हो रही है । अतः इस संबंध में शीघ्र कार्रवाईकर अनुपालन प्रतिवेदन दें ।

लगातार...13/-

19- तख्ती नं0 7 :-

इस तख्ती में लंबित अन्वेक्षण कांड तो संबंधित पदाधिकारियों का नाम अंकित रहता है । यह तख्ती अद्यतन है एवं कुल 09 कांड अनुसंधान अन्तर्गत है ।

20- तख्ती नं0 8 :-

इस तख्ती में पुलिस अधिनियम की धारा 34 में संबंधित सूचना अंकित की जाती है किन्तु इस थाना में यह मामला नहीं है ।

21- तख्ती नं0 9 :-

इस तख्ती में थाना क्षेत्र में लगनेवाले हाट, मेला, बाजार की सूचना अंकित की जाती है । इस थाना क्षेत्र में लगनेवाले हाट-बाजार, मेरा की सूचना निम्न प्रकार है :-

	क्रमांक	स्थान का नाम	दिन
हाट	1-	बिहारी	मंगलवार, गुरूवार एवं सोमवार
	2-	पिरोखर	शुक्रवार एवं मंगलवार
	3-	मधवापुर पेठिया गाछी	मंगलवार, गुरूवार एवं शनिवार
मेला	4-	मधवापुर	दुर्गापूजा, इन्द्रपूजा
	5-	रामपुर	दुर्गापूजा
	6-	बिहारी	दुर्गापूजा, मुहर्रम
	7-	तुजातपुर	दुर्गापूजा

22- तख्ती नं0 10 :-

इस तख्ती में थाना क्षेत्र के अन्तर्गत पड़नेवाले निर्वाचित मुखिया, सरपंच, जिला परिषद के सदस्य, पंचायत

लगातार...14/-

समिति के सदस्य आदि की सूची संधारित की जाती है । यह सूची अद्यतन है ।

23- तख्ती नं0 11 :-

इस तख्ती में नियम 152 के तहत उन अधिकारियों और आरक्षी-थानों की सूची रखी जाती है जिन्हें डाक की सूचना भेजी जाती है । यह सूची अद्यतन है ।

24- तख्ती नं0 12 :-

इस तख्ती में थाना क्षेत्र के निगरानी में रखे गये दागियों की सूची अंकित की जाती है । इस थाना में कुल दागियों की संख्या 05 है जिनमें से 04 वार्षिक एवं 01 अर्द्धवार्षिक है । विस्तृत विवरणी निम्न प्रकार है :-

क्रमांक	दागी संख्या	नाम एवं पता	संख्या नं0 जाँच विवरणी		वर्तमान स्थिति
1-	स/28	मथुरा तहनी पे0 हुताई तहनी, ग्राम रामपुर मधवापुर	1	वार्षिक	हाजिर
2-	स/29	अशर्फी दास पे0 खेलावन दास, सा0 एकारी, मधवापुर	4	वार्षिक	लापता
3-	स/36	राम स्नेही दास पे0 बबन दास, सा0 रामनगर थाना पुपरी, जिला सीतामढ़ी, वर्तमान मधवापुर	1	वार्षिक	हाजिर
4-	ती/2	तुलेमान हुसैन पे0 शे0 सरयुग, सा0 रामपुरवृत, मधवापुर	1	वार्षिक	हाजिर
5-	बी/3	धर्मदेव यादव पे0 राम विलास यादव, सा0 बैरवा, मध0	2	अर्द्धवार्षिक	लापता

25- तख्ती नं0 13 :-

इस तख्ती में अगल-बगल के थाना के सक्रिय अपराधियों की सूची रखी जाती है । इस तख्ती का अवलोकन किया, जो अद्यतन है ।

26- तख्ती नं0 14 :-

इस तख्ती में अधिकारियों को भेजी जानेवाली विवरणी लिखी जाती है, जो अद्यतन है । कुल 20 विन्दुओं पर

लगातार...15/-

अधिकारियों को प्रतिवेदन भेजा जाता है ।

27- तख्ती नं0 15 :-

इस तख्ती में थाना का मानचित्र रहता है परन्तु इस थाना में इसे तख्ती में नहीं रखकर मात्र दिवाल पर ही टाँगा गया है । बिहार पुलिस हस्तक के नियम 131 में स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया है कि तख्ती में रखे जानेवाले अपराध मानचित्र के अतिरिक्त मजबूत किरमिची अस्तरवाला एक छपा हुआ थाना मानचित्र भी टंगा रहेगा जिस पर भट्ठियाँ शराब की दूकाने, सार्वजनिक घाट, चौकीदारी यूनियन की सीमाएँ, सीमावर्ती आरक्षी थानों के चित्र काट-कांटकर चिपकाये जायेंगे, नेपाल या अन्य देश के सह-सीमस्थ हों तो इन देशों के सह-सीमस्थ थानों का मानचित्र चिपकाये जायेंगे । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि इस अनुदेश का अनुपालन दो दिनों के अन्दर सुनिश्चितकर अनुपालन प्रतिवेदन भेजेंगे ।

28- तख्ती नं0 - 16 :-

इस तख्ती में सरकारी अधिसूचना की प्रति जिससे थाना का क्षेत्र निर्धारित है, रखी जाती है । परन्तु इस थाना में अधिसूचना की प्रति उपलब्ध नहीं है । थाना प्रभारी एक माह में अधिसूचना की प्रति प्राप्तकर, उसे संधारितकर अनुपालन प्रतिवेदन भेजेंगे ।

उपर्युक्त सभी तख्तियों के अवलोकन से स्पष्ट है कि तख्तियों का संधारण अच्छे ढंग से किया गया है, मात्र कुछ सूचनाओं का संधारण अवशेष है । थाना प्रभारी इसे निर्धारित समय-सीमा के अन्दर संधारितकर अनुपालन प्रतिवेदन देंगे ।

29- सब इन्सपेक्टर नोट बुक :-

बिहार पुलिस हस्तक के नियम 357 के तहत फार्म नं0 75 में सब इन्सपेक्टर नोट बुक संधारित करना है किन्तु इस थाना में इसे विहित प्रपत्र में संधारित नहीं कर सादे पंजी में संधारित किया गया है एवं दिनांक 5-2-2002 तक ही लिखा गया है । इस प्रकार केवल औपचारिकताएँ ही निभायी जा रही है । थाना प्रभारी इसे विहित प्रपत्र में संधारितकर एवं अद्यतनकर एक सप्ताह में अनुपालन प्रतिवेदन भेजेंगे ।

लगातार...16/-

30- हतियान इन्तपेक्शन रजिस्टर पार्ट -। :-

यह पंजी विहित प्रपत्र में तंधारित है जितमें 64 कॉलम हैं । यह पंजी आरक्षी निरीक्षक द्वारा लिखी जाती है एवं अद्यतन है ।

31- हतियान इन्तपेक्शन रजिस्टर पार्ट-।। :-

यह विहित प्रपत्र में तंधारित है जितमें मातिक रूप ते पदाधिकारीवार केत रिपोर्ट, अनुतंधानकर्त्ता का नाम अभिलेख का निष्पादन कित वर्ष करना है, चोरी गये एवं बरामद तमानों की विवरणी आदि थाना प्रभारी द्वारा लिखी जाती है, जो अद्यतन है एवं अच्छी तरह ते तंधारित है ।

32- तीoडीoपार्ट-। :-

इतमें दागी व्यक्तियों {डोतियर्त} की तूची रखी जाती है । इत पंजी के अनुतार कुल दागी व्यक्तियों की तंख्या 05 है । पंजी तही ढंग ते तंधारित है ।

33- तीoडीoपार्ट-।। :-

इत पंजी में तंपत्ति ते तंबंधी अपराध के मामले दर्ज किये जाते हैं । जब किती व्यक्ति के विरूद्ध अपराध ताबित हो जाता है तो उते इत पंजी में तूचीबद्ध कर दिया जाता है । इतमें दूतरे थाना का केत लाल स्याही ते एवं अपने थाना का केत काला स्याही ते अंकित किया जाता है । पंजी के अवलोकन ते पाया गया कि क्रमांक 827 पर अशोक मंडल पेo मौजेलाल मंडल का नाम अंकित है, जो अल्फावेटिकल रजिस्टर के ।। पर उनका नाम दर्ज है । इती प्रकार श्री मंडल का नाम एमoओo रजिस्टर के क्रमांक 76 पर दर्ज है । इत प्रकार स्पष्ट है कि तीoडीoपार्ट-।।, एमoओo रजिस्टर एवं अल्फावेटिकल रजिस्टर में पूर्ण तालमेल है । इत पंजी में कुल 830 प्रविष्टियाँ की गई हैं ।

34- तीoडीoपार्ट-।।। :-

इत पंजी में थाना क्षेत्र के अति महत्वपूर्ण विषयों पर यथा यूनियनवार धार्मिक, कृषि, ताम्प्रदायिक, भू-विवाद,

लगातार...17/-

राजनैतिक मामलों पर गोपनीय अभ्युक्तियाँ वर्षवार थाना प्रभारी द्वारा अंकित की जाती है । पंजी का संधारण सही ढंग से किया जा रहा है ।

35- अल्फावेट अनुक्रमणी पंजी :-

यदि किसी व्यक्ति के चरित्र सत्यापन का मामला आता है कि तो उसे अल्फावेट अनुक्रमणी पंजी से नाम देखकर सी०डी० पार्ट ।। से संबंधित व्यक्तियों के आचरण एवं गतिविधि के बारे में जानकारी ली जाती है । वस्तुतः अल्फावेट अनुक्रमणी पंजी में वैसे व्यक्तियों का नाम रहता है, जो किसी मामले में संलिप्त होते हैं । अल्फावेट अनुक्रमणी पंजी सी०डी० पार्ट-।। में अंकित व्यक्तियों के आधार पर ही बनाई जाती है । यदि इस पंजी में अंकित व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है, तो उनका नाम लाल स्याही से काट दिया जाता है । यह पंजी अच्छी ढंग से संधारित की जा रही है ।

36- एम०ओ० रजिस्टर :-

बिहार आरक्षी हस्तक के नियम 357 के तहत फार्म सं० 76 ए. में एम० ओ० रजिस्टर संधारित की गई है । इस रजिस्टर में अपराधियों के अपराध करने की शैली जैसे लूटपाट किया गया अथवा नहीं, लाठी-डंडा से मारपीट किया गया अथवा नहीं, गृह भेदन किया गया या नहीं, अपराधियों द्वारा जाते समय क्या-क्या बोला गया आदि की प्रविष्टि की जाती है । पंजी सही ढंग से संधारित की जा रही है ।

37- अप्राकृतिक मृत्यु :-

अप्राकृतिक मृत्यु पंजी विहित प्रपत्र में संधारित की जा रही है । विगत पाँच वर्षों का अप्राकृतिक मृत्यु से संबंधित आँकड़ा निम्न प्रकार है :-

वर्ष	पानी में डूबने से	साँप काटने से	पेड़ से गिरने से	जहर खाने से	जलने से	बिजली से	फाँसी लगाने से	विविध कारण से
1997	4	-	-	1	1	-	1	-

लगातार...18/-

1998	-	-	-	-	-	-	-	1
1999	-	-	-	1	-	-	-	-
2000	-	-	-	-	3	-	-	-
2001	-	-	1	2	-	-	-	1
2002	1	-	-	-	-	-	1	-
कुल :-	5	-	1	4	4	-	2	2

लंबित अप्राकृतिक मृत्यु अभियोगों की विवरणी निम्न प्रकार है :-

क्रमांक	कांड संख्या	दिनांक	अनुसंधान पदाधिकारी का नाम/पदनाम	लंबित का कारण
1-	4/2001 ¤ यू0 डी0¤		स0 अ0 नि0 मो0 इद्रीस	भीसरा जाँच हेतु
2-	2/2002 ¤ यू0 डी0¤		स0 अ0 नि0 आर0 ए0 यादव	पी0एम0रिपोर्ट हेतु

उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि यू0डी0 कांड संख्या 4/2001 अभी भी लंबित है । थाना प्रभारी एक माह के अन्दर इसे निष्पादित कराकर अनुपालन प्रतिवेदन देंगे ।

38- अनुसूचित जाति / जनजाति अत्याचार अधिनियम के तहत दर्ज मामलों की पंजी :-

यह पंजी अलग से सादे पंजी में संधारित है । थाना प्रभारी द्वारा बताया गया कि वर्ष 1997 से अबतक एक भी मामला इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रतिवेदित नहीं हुआ है । जिला स्तर पर प्रत्येक वृहस्पतिवार को आयोजित जनता दरबार में अक्सर लोगों द्वारा शिकायत की जाती है कि थाना प्रभारी द्वारा उनका मामला दर्ज नहीं किया जाता है, उन्हें समुचित मदद नहीं दी जाती है । इनमें अधिकांश शिकायतें हरिजन अत्याचार से ही संबंधित होती हैं । विदित हो कि मधवापुर थाना क्षेत्र अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य है एवं आये दिन विभिन्न समाचार पत्रों में भूमिहीन एवं भूमिपतियों के बीच तनाव की सूचनाएँ मिलती रहती हैं । अतएव थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि अनुसूचित जाति/जनजाति/अल्पसंख्यक की समस्याओं पर विशेष ध्यान दें एवं इस अधिनियम को सख्ती से लागू करावें ताकि आम जनता का विश्वास पुलिस एवं प्रशासन के प्रति बढ़े ।

लगातार...19/-

39- रजिस्टर ऑफ आर्म्स डिपोजिटेड इन पुलिस स्टेशन :-

बिहार पुलिस हस्तक के नियम 325 के तहत फार्म 67 में यह पंजी संधारित करना है । पंजी संधारित है जिसके अनुसार कुल 16 आग्नेयास्त्र विभिन्न कारणों से जमा है । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि जमा आग्नेयास्त्रों के संबंध में विस्तृत विवरणी एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।

40- दैनिक एवं साप्ताहिक प्रतिवेदन :-

बिहार पुलिस हस्तक के नियम 59 (क) के तहत फार्म सं0 6 ए. में यह प्रतिवेदन आरक्षी निरीक्षकों द्वारा भेजा जाना है । परन्तु आरक्षी निरीक्षक द्वारा यह प्रतिवेदन अनुमण्डल पदाधिकारी, बेनीपट्टी को नहीं भेजा जा रहा है, जो चिन्ता का विषय है । नियम 58 (क) में स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया कि "प्रपत्र संख्या 6 ए. में, जो नित्य प्रेषित किया जायगा, उन केसों का विवरण रहेगा जो प्रतिदिन दर्ज होते हैं । आरक्षी निरीक्षक इन रिपोर्टों को अनुमण्डल पदाधिकारी तथा अनुमण्डल आरक्षी पदाधिकारी को प्रेषित करेगा, जो इन्हें क्रमशः जिला मजिस्ट्रेट तथा आरक्षी अधीक्षक को अग्रसारित करेंगे "। आरक्षी निरीक्षक, बेनीपट्टी को निर्देश दिया जाता है कि अनुमण्डल पदाधिकारी, बेनीपट्टी को नियमित रूप से दैनिक प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे ।

41- चौकीदारी पंजी :-

बिहार पुलिस हस्तक के नियम 13 के तहत विहित प्रपत्र में एवं अच्छे ढंग से चौकीदारी पंजी का संधारण किया गया है । यह पंजी 19 कॉलमों में संधारित है जिसमें प्रत्येक चौकीदारों के लिए अलग-अलग पृष्ठ आवंटित की गई है एवं उपस्थिति रोमण अंक में दर्ज की जा रही है । अनुपस्थित चौकीदारों के संबंध में लाल ईंक से इटालियन अंक में लिखा जा रहा है ।

चौकीदारों / दफादारों के स्वीकृत बल एवं पदस्थापन की स्थिति निम्न प्रकार है :-

लगातार...20/-

क्रमांक	पदनाम	स्वीकृत बल	पदस्थापित बल	रिक्ति
1-	दफादार	02	01	01
2-	चौकीदार	29	27	02
	कुल :-	31	28	03

स्वीकृत बल के अनुसार पदस्थापित दफादार / चौकीदारों की सूची निम्न प्रकार है :-

क्रमांक	सर्किल नं0	बीट नं0	नाम	गृह पता
1-	1	1	सुमन पासवान	ग्राम-पो0 बिहारी, मधवापुर, जिला मधुबनी
2-	बोर्डर	-	बिल्टू पासवान	ग्राम-पो0 बिहारी, मधुवापुर, जिला मधुबनी
3-	4	2	सुरेन्द्र मंडल	ग्राम पिरोखर, मधवापुर, जिला मधुबनी
4-	1	5	सीताराम पासवान	ग्राम बिहारी, मधवापुर, जिला मधुबनी
5-	2	1	प्रेम लाल पासवान	ग्राम बलवा, पो0 सहारघाट, जिला मधुबनी
6-	बोर्डर	-	किशुन पासवान	ग्राम अण्डौली, मधवापुर, जिला मधुबनी
7-	1	2	सुरेन्द्र पासवान	ग्राम रामपुरवृत, मधवापुर, जिला मधुबनी
8-	1	7	जीवछ पासवान	ग्राम बिहारी, मधवापुर, जिला मधुबनी
9-	1	6	शंभू पासवान	ग्राम बिहार, मधवापुर, जिला मधुबनी
10-	4	3	दुलारचंद पासवान	ग्राम सुजातपुर, मधवापुर, जिला मधुबनी
11-	बोर्डर	-	सौखी पासवान	ग्राम बिहारी, मधवापुर, जिला मधुबनी
12-	1	10	नथुनी पासवान	ग्राम बिहारी, टोले गद्दी बिहारी, जिला मधुबनी
13-	बोर्डर	-	महेन्द्र पासवान	ग्राम बिहारी, मधवापुर, जिला मधुबनी
14-	4	6	बिलक्षण दास	ग्राम एकारी पो0 सुजातपुर, मधवापुर, मधुबनी
15-	4	5	शुकुल पासवान	ग्राम अण्डौली, मधवापुर, जिला मधुबनी
16-	बोर्डर	-	जिनिश पासवान	ग्राम बिहारी, मधवापुर, जिला मधुबनी
17-	1	4	हकीम खाँ	ग्राम-पो0 मधवापुर, जिला मधुबनी ।

लगातार...21/-

18-	1	12	सुरेश पासवान	ग्राम-पो० बिहारी, मधवापुर, जिला मधुबनी
19-	4	9	तारीव पासवान	ग्राम अकहर, मधवापुर, जिला मधुबनी
20-	बोर्डर	-	दशई पासवान	ग्राम बिहारी, टोले गद्दी बिहारी, मधुबनी
21-	3	1	जुड़ो पासवान	ग्राम बिहारी, मधवापुर, जिला मधुबनी
22-	1	9	देव नारायण यादव	ग्राम लालापट्टी, मधवापुर, जिला मधुबनी
23-	1	11	राम प्रसाद यादव	ग्राम-पो० दुर्गापट्टी, मधवापुर, जिला मधुबनी
24-	बोर्डर	-	अतर्फी मंडल	ग्राम-पो० मधवापुर, जिला मधुबनी
25-	2	3	राम लग्न पासवान	ग्राम बैरवा, मधवापुर, जिला मधुबनी
26-	1	13	शिव कुमार दास	ग्राम-पो० मधवापुर, जिला मधुबनी
27-	बोर्डर	-	भोगी पासवान	ग्राम-पो० बिहारी, मधवापुर, जिला मधुबनी

उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि चौकीदार के दो एवं दफादार का एक पद रिक्त है । थाना प्रभारी द्वारा बताया गया कि दो चौकीदार का पद सेवानिवृति एवं एक दफादार का पद मृत्यु होने के कारण रिक्त है । उन्हें निर्देश दिया जाता है कि इन दोनों पदों पर नियुक्ति हेतु नियमानुसार प्रस्ताव शीघ्र भेजेंगे ।

42- चौकीदार डिसपोजीशन पंजी :-

यह पंजी विहित प्रपत्र में संधारित है एवं सभी 6 कॉलमों को भरा हुआ पाया गया ।

43- मालखाना पंजी :-

बिहार आरक्षी हस्तक के नियम 307 के तहत फार्म सं० 51 में मालखाना पंजी संधारित करना है कि जिसमें (क) लावारिस सामान (ख) जब्त सामान (ग) कुर्की से प्राप्त सम्पत्ति एवं (घ) अपराधिक विचारणों में प्रदर्श के रूप में भेजी गई सम्पत्ति दर्ज की जाती है । यह पंजी विहित प्रपत्र में संधारित है । उक्त पंजी के अनुसार कुर्की-19, प्रदर्श-42, लावारिस-5 कुल 66 प्रदर्श सुरक्षित रखा गया है । मालखाना के अवलोकन से पता चला कि प्रदर्शों को कांडवार /श्रेणीवार सजाकर नहीं रखा गया है, बल्कि हॉच-पॉच की स्थिति है । इससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि कौन-सा प्रदर्श किस कांड से संबंधित है ।

लगातार...22/-

थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि सभी जब्त सामानों/प्रदर्शों को कांडवार/श्रेणीवार सजाकर सुरक्षित रखें एवं लावारिस सामानों के निष्पादन की दिशा में एक माह के अन्दर कार्रवाई सुनिश्चित कर अनुपालन प्रतिवेदन भेजें । थाना प्रभारी द्वारा बताया गया कि लावारिस सामानों की सूची बनाकर अनुमण्डल पदाधिकारी, बेनीपट्टी को सक्षम स्वीकृति हेतु भेजा गया है । अनुमण्डल पदाधिकारी, बेनीपट्टी एक पक्ष के अन्दर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित कर अनुपालन प्रति देंगे ।

44- मालखाना रिसीट भाउचर पंजी :-

यह पंजी संधारित है जिसमें सक्षम न्यायालय अथवा दण्डाधिकारी के आदेश से जो भी जब्त सामग्री/प्रदर्श मालखाना से मुक्त किया जाता है, उक्त आदेश की प्रति पेस्ट कर रखी जाती है । यह पंजी दो भागों में होती है । यह पंजी संधारित है एवं अद्यतन है ।

45- अनुक्रमणी पंजी :-

अनुक्रमणी पंजी संधारित है जिसके अनुसार इस थाना में कुल 35 पंजी संधारित है ।

46- गुण्डा पंजी :-

गुण्डा पंजी संधारित है एवं समय-समय पर इसका मिलान आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी के कार्यालय से किया जा रहा है ।

47- अपराध आँकड़ा :-

मधवापुर थाना का विगत पाँच वर्षों का अपराध आँकड़ा निम्न प्रकार है :-

वर्ष	हत्या	डकैती	लूट	गृह भेदन	चोरी	दंगा
1997	-	-	1	5	4½3½	6½6½

लगातार ...

1998	1	–	–	1	2	6§4§
1999	–	–	–	–	3§1§	1§1§
2000	–	–	–	1	6	–
2001	2§2§	–	2	–	2	2§2§
2002	–	1	–	1§1§	1	3§3§

उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि इस वर्ष डकैती के 1, गृह भेदन के 1, चोरी के 1 एवं दंगा के 3 मामले प्रतिवेदित हुए हैं । अर्थात अपराध के सभी क्षेत्रों में कांड प्रतिवेदित हुए हैं । चूँकि यह थाना अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर अवस्थित है, अतः थाना प्रभारी को इस ओर विशेष सक्रिय होने की आवश्यकता है । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि सघन अभियान चलाकर/रात्रि गश्ती को तेजकर अपराधिक घटनाओं को रोकने हेतु आवश्यक कार्रवाई करें, अभियुक्तों को गिरफ्तार करने की दिशा में कार्रवाई करें । अनुमण्डल आरक्षी पदाधिकारी/आरक्षी निरीक्षक, बेनीपट्टी को भी इस पर विशेष निगरानी रखने की आवश्यकता है ।

48-पत्राचार :-

बिहार पुलिस हस्तक के नियम 912 के तहत प्रपत्र संख्या 119 अ में प्राप्त पत्रों की पंजी एवं प्रपत्र संख्या 119 आ में निर्गत पत्रों की पंजी संधारित करना है जिसमें §1§ न्यायालय से संबंधित §2§ विभाग से संबंधित §3§ सीमावर्ती थानों से संबंधित §4§ आम जनता से संबंधित एवं §5§ आचरण सत्यापन से संबंधित मौलूम होती है । पंजी संधारित है । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि विगत पाँच वर्षों के पत्राचार की स्थिति एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे ।

49- कॉन्सटेबल नोट बुक :-

बिहार आरक्षी हस्तक के नियम 89§ड.§ के तहत कॉन्सटेबल नोट बुक संधारित करना है जिसमें उल्लेख करना है कि संबंधित कॉन्सटेबल द्वारा कौन-कौन-सा कर्त्तव्य सम्पन्न किया गया, किस कार्य से कहाँ-कहाँ गया । किन्तु इस थाना में यह संधारित नहीं किया जा रहा है । थाना प्रभारी एक सप्ताह के अन्दर विहित प्रपत्र इसे संधारित कर अनुपालन प्रति-प्रतिवेदन भेजेंगे ।

लगातार...24/-

50- प्राथमिकी पंजी :-

प्राथमिकी पंजी विहित प्रपत्र में संधारित है । प्राथमिकी पंजी के बुक नं0 17192 के क्रमांक 0859551 से 0859600 का अवलोकन किया । वर्ष 2002 में कुल 61 प्राथमिकी दर्ज की गई है । यह पंजी 5 प्रतियों में होती है । दर्ज प्राथमिकी की प्रथम प्रति मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, दूसरी प्रति आरक्षी अधीक्षक, तीसरी प्रति अनुमण्डल आरक्षी पदाधिकारी, चौथी प्रति आरक्षी निरीक्षक एवं पाँचवी प्रति थाना में रखी जाती है । ज्ञातव्य हो कि प्रत्येक वृहस्पतिवार को जिला स्तर पर आयोजित जनता दरबार में अक्सर लोगों द्वारा शिकायत की जाती है कि थाना प्रभारी द्वारा प्राथमिकी दर्ज नहीं की जाती है । थाना को प्रथम न्यायालय कहा गया है, अतः जब कोई व्यक्ति थाना में अपनी फरियाद लेकर आता है तो प्रथम न्यायालय में उसे अवश्य न्याय मिलना चाहिए । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि जब कोई व्यक्ति शिकायत लेकर थाना में आता है तो उनकी बात पूरी तन्मयता से सुने एवं प्राथमिकी दर्जकर निष्पक्ष भाव से त्वरित कार्रवाई करें जिससे पुलिस प्रशासन के प्रति लोगों का विश्वास एवं आदर-भाव बढ़े ।

51- अप्राथमिकी पंजी :-

विगत पाँच वर्षों का अप्राथमिकी आँकड़ा निम्न प्रकार है :-

वर्ष	107/116(1)(i)	113	144	109	182/211	290	133	188
1997	42	-	6	-	-	-	-	-
1998	39	-	7	-	1	-	-	-
1999	47	2	9	-	1	-	-	-
2000	45	7	9	-	2	-	-	-
2001	64	3	9	-	-	-	-	-
2002	32	-	5	-	-	-	-	-

लगातार...25/-

52- लंबित विशेष प्रतिवेदित कांडों की विवरणी :-

लंबित विशेष प्रतिवेदित कांडों की विवरणी निम्न प्रकार है :-

क्रमांक	कांड संख्या	दिनांक	धारा	अनुसंधान कर्त्ता का नाम	लंबित का कारण
1-	60/98	08-08-98	341/393/504/34 भा0द0वि0	त0अ0नि0 आर0ए0यादव	आदेश हेतु
2-	61/98	08-08-98	161/379/ भा0द0वि0	अ0 नि0 आर0 पी0 सिंह	अभि0 स्वी0 हेतु
3-	71/98	01-10-98	364 भा0द0वि0	आ0 नि0 नीरज कुमार	अ0अनु0वि0पटना
4-	08/2002	02-02-02	366 ए/120 बी/366/363 भा0द0वि0	अ0 नि0 आर0पी0 सिंह	गिरफ्तारी हेतु
5-	09/2002	03-02-02	447/427/379/34 भा0द0वि0	त0 अ0 नि0 मो0 इद्रीश	आदेश हेतु
6-	29/2002	08-05-02	341/428/307/34 भा0द0वि0	त0 अ0 नि0 आर0ए0यादव	गिरफ्तारी हेतु
7-	32/2002	17-05-02	354/337/504/34 भा0द0वि0	त0 अ0 नि0 मो0 इद्रीश	पर्यवेक्षण हेतु
8-	37/2002	01-06-02	323/341/379 भा0द0वि0	त0 अ0 नि0 नन्दलाल सिंह	आदेश हेतु
9-	56/2002	06-09-02	395 भा0 द0 वि0	त0 अ0 नि0 मो0 इद्रीश	अनुसंधानान्तर्गत

53- लंबित अविशेष प्रतिवेदित कांडों की विवरणी :-

1-	22/2001	10-04-01	324/326/307/34 भा0द0वि0 एवं 3/4/5 विस्फोटक पदार्थ अधि0	त0 अ0 नि0 मो0 इद्रीश	पूरक अनुसंधान में
2-	36/2001	28-0-010	147/148/149/342/323/324/ 337/338/307/332/333/353/379 भा0द0वि0 एवं 27 आर्म्स एक्ट तथा 3/4/5 वि0 पदा0 अधिनियम	त0 अ0 नि0 मो0 इद्रीश	पूरक अनुसंधान में

उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि वर्ष 1998 के 03 एवं वर्ष 2001 के 02 कांड अभी भी लंबित हैं। थाना प्रभारी लंबित कांडों के निष्पादन की दिशा में त्वरित गति से कार्रवाई करते हुए एक माह के अन्दर अनुपालन प्रतिवेदन भेजेंगे।

लगातार...26/-

54- चरित्र तत्यापन :-

बिहार पुलिस हस्तक के नियम 92(क) में नियोजनार्थियों के पूर्व चरित्र के तत्यापन हेतु विशेष निर्देश दिये गये हैं । थाना प्रभारी द्वारा बताया गया कि दिनांक 9-10-2002 तक चरित्र तत्यापन के कुल 9 मामले प्राप्त हुए थे जिनमें से 4 का निष्पादन हो गया है एवं 5 मामले उनके पास निष्पादन हेतु लंबित है । उन्हें निर्देश दिया जाता है कि चरित्र तत्यापन से संबंधित मामले प्राप्त होने पर एक सप्ताह के अन्दर उनका तत्यापन कर संबंधित विभाग को लौटा दें ताकि संबंधित व्यक्ति को नियोजन से वंचित नहीं होना पड़े ।

55- कैश बुक :-

कैश बुक पार्ट-। एवं पार्ट-।। में संधारित है । पार्ट-। में कैदियों के भोजन की राशि अंकित की जाती है । इस मद में अभी 1446/-रू0 अवशेष है । पार्ट-।। में आरक्षियों के वेतन आदि की विवरणी लिखी जाती है । प्राप्त राशि को वितरित कर दिया गया है । कैश बुक का संधारण अच्छे ढंग से किया जा रहा है ।

56- सम्मान गार्ड :-

निरीक्षण हेतु पहुँचने पर निम्नांकित आरक्षियों द्वारा अधोहस्ताक्षरी को सलामी दी गई । सभी आरक्षियों का आऊट-टर्न अच्छा था । आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी इन्हें नियमानुसार पुरस्कृत करना चाहेंगे :-

(क) हवलदार - राम औतार यादव
(ख) आ0 162 - नरेश चौधरी
(ग) आ0 438 - महेश राय
(घ) आ0 277 - साधु पासवान
(ङ) आ0 305 - निर्धन पासवान

57- थाना प्रभारी के कर्त्तव्य :-

बिहार आरक्षी हस्तक के नियम 81(क) में थाना प्रभारी के कर्त्तव्यों का विस्तृत रूप से विवरण दिया गया

लगातार...27/-

है । निरीक्षण के दौरान पाया गया कि थाना प्रभारी, मधवापुर को अपने कर्त्तव्यों की जानकारी है एवं वे अपने कर्त्तव्यों के प्रति पूर्ण सजग हैं ।

58- अन्यान्य :-

(क) जिला विधि अनुश्रवण समिति की बैठक में पी०पी० द्वारा शिकायत की जाती है कि अनुसंधानकर्त्ता की डायरी के अभाव में बहुत सारे मामलों में एक्युटल का सामना करना पड़ता है । अतः थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि गवाह प्रोडक्शन के लिए जो सम्मन भेजे जाते हैं, उसका तामिला निर्धारित समय-सीमा के अन्दर कराकर अनुपालन प्रतिवेदन भेजेंगे एवं केस डायरी की माँग किये जाने पर ससमय उपलब्ध करायेंगे ।

(ख) प्रत्येक माह आयोजित जिला विधि अनुश्रवण समिति की बैठक में ए०पी०पी० द्वारा बताया जाता है कि अनुसंधान प्रतिवेदन के अभाव में कांडों के निष्पादन में कठिनाई होती है । अतएव थाना प्रभारी लंबित कांडों के निष्पादन की दिशा में अविलम्ब कार्रवाई करें ।

(ग) भूमि विवाद का स्थायी समाधान निकालें । अतिक्रमण हटाने/शांति-व्यवस्था कायम करने में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी से प्रत्येक सप्ताह समन्वय स्थापितकर अपेक्षित सहयोग दें ।

(घ) बिहार आरक्षी हस्तक के नियम 100 में थाना प्रभारी को अतिक्रमण हटाने हेतु शक्ति प्रदत्त है । इसी प्रकार इनक्रोचमेंट एक्ट में भी थाना प्रभारी को शक्ति प्रदत्त है । अतः उक्त शक्ति का प्रयोग करते हुए अपने थाना क्षेत्र से अस्थायी अतिक्रमण हटाने हेतु शीघ्र कार्रवाई करें ।

(च) नीलाम पत्र वादों के विरूद्ध निर्गत डी०डब्लू०/बी०डब्लू० का सख्ती से कार्यान्वयन सुनिश्चित करें ताकि राजस्व वसूली में प्रगति लाई जा सके ।

(छ) गरीब एवं असहाय व्यक्ति/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अल्पसंख्यक के प्रति पूर्ण सहानुभूति रखें एवं उनकी कठिनाईयों को गंभीरता से लेते हुए निष्पक्ष होकर मदद करें ।

(ज) सतत् छापामारी अभियान चलाकर/रात्रि गश्ती को दुरुस्त-दुरूस्तकर अपराध नियंत्रण हेतु ठोस एवं कारगर कार्रवाई करें ।

लगातार...28/-

59- निष्कर्ष :-

कुल मिलाकर थाना का कार्य-कलाप संतोषप्रद कहा जा सकता है । थाना प्रभारी पूरी चुस्ती एवं मुस्तैदी से अपने कर्त्तव्यों का पालन कर रहे हैं । पंजियों एवं अभिलेखों का संधारण सही ढंग से किया जा रहा है । आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी इन्हें 1,000/-(एक हजार) रूपये की राशि से पुरस्कृत करना चाहेंगे । पंजियों/अभिलेखों का उपस्थापन स0अ0नि0 मो0 इद्रीश द्वारा बहुत ही अच्छे ढंग से किया गया । आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी इन्हें भी उचित राशि से पुरस्कृत करना चाहेंगे । कुछ त्रुटियाँ पाई गई हैं, अगर उन्हें समय-सीमा के अन्दर दूर कर लिया जाता है, निरीक्षण टिप्पणी में दिये गये निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कर लिया जाता है तो थाना के कार्य-कलाप में गुणात्मक सुधार आ जायगा । चूँकि मधवापुर थाना अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर अवस्थित है, अतः थाना प्रभारी को अपने कर्त्तव्यों के प्रति विशेष सचेष्ट रहने की आवश्यकता है । थाना के बगल में ही स्ट0स्ट0बी0 का बी0ओ0पी0 स्थापित है । यदि थाना प्रभारी उनसे तालमेल कर कार्रवाई करते हैं तो अपराध पर नियंत्रण एवं तस्करी पर पूर्णतः रोक लगाई जा सकती है ।

ह0/- डा0 बी0 राजेन्दर,
जिला पदाधिकारी,
मधुबनी ।

लगातार...29/-

ज्ञाप संख्या 1614 /सामान्य मधुबनी, दिनांक 30 अक्तूबर, 2002 ई0 ।

प्रतिलिपि - मुख्य सचिव, बिहार सरकार, पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि - महानिदेशक एवं आरक्षी महानिरीक्षक, बिहार पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि - गृह सचिव, गृह (आरक्षी) विभाग, बिहार पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि - आरक्षी महानिरीक्षक (प्रशासन), बिहार पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि - आरक्षी महानिरीक्षक, दरभंगाप्रक्षेत्र, दरभंगा की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि - आयुक्त, दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि - आरक्षी उप महानिरीक्षक, दरभंगा क्षेत्र, दरभंगा को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि - आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि - अनुमण्डल पदाधिकारी, बेनीपट्टी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि - अनुमण्डल आरक्षी पदाधिकारी, बेनीपट्टी/आरक्षी निरीक्षक, बेनीपट्टी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि - थाना प्रभारी, मधवापुर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित ।

Mrijendra 29-10-2002

जिला पदाधिकारी,

मधुबनी ।